BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

# लघु पनबिजली विकास योजना
## संवहनीय विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

*26 अप्रैल, 2026*

| मुख्य बिंदु |
|---|
| • भारत में लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता 21133.61 मेगावॉट है। देश ने इसमें से लगभग 5171 मेगावॉट का उपयोग किया है।<br>• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2584.60 करोड़ रुपए के परिव्यय से लघु पनबिजली विकास योजना को मंजूरी दी है।<br>• इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 1500 मेगावॉट का इजाफा करना है।<br>• इस योजना के निर्माण के चरण में 51 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार पैदा होने की संभावना है। |

## परिचय

जल के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली पनबिजली, दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के बीच, यह ग्रिड की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मज़बूती सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। सौर और पवन जैसे रुक-रुक कर मिलने वाले स्रोतों के विपरीत, पनबिजली से लगातार, चौबीसों घंटे बिजली मिलती है। जैसे-जैसे देश मिलीजुली स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव ला रहा है, जल विद्युत अपरिहार्य बन गई है।

इस रणनीतिक महत्व को देखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'लघु पनबिजली विकास योजना' को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना अलग-अलग राज्यों में छोटी पनबिजली परियोजनायें (1-25 मेगावॉट क्षमता वाले) लगाने में मदद करेगी। इस योजना से खास तौर पर उन पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फ़ायदा होगा, जहाँ इन परियोजनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। यह मंज़ूरी वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2,584.60

करोड़ रुपये है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट की नई लघु जल विद्युत क्षमता को विकसित करना है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जहाँ लघु जल विद्युत की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वहां बिजली की पहुँच से जुड़ी चुनौतियाँ आड़े आती हैं। विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर उत्पादित बिजली को बढ़ावा देकर, यह योजना दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भरोसेमंद बिजली पहुँचाने का प्रयास करती है और साथ ही पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता को भी कम करती है।

ऊर्जा उत्पादन के अलावा, इस पहल में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। छोटी पनबिजली परियोजनाएं, अपने न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, कम ज़मीन की ज़रूरत और लंबी परिचालन अवधि के साथ, विकास का एक संवहनीय रास्ता दिखाती हैं। स्थानीय निवेश को बढ़ावा देकर, रोज़गार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करके, यह योजना लघु पनबिजली को भारत के स्थायी और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की आधारशिला के रूप में स्थापित करेगी।

**क्या आप जानते हैं?**

भारत में, बड़ी और छोटी पनबिजली परियोजनाओं के बीच मुख्य अंतर उनकी स्थापित क्षमता और संबंधित मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र पर आधारित है। लघु पनबिजली परियोजनाओं को 25 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है और इनका प्रशासन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बड़ी पनबिजली परियोजनाएं, विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

## लघु पनबिजली विकास योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना कार्यान्वयन में सहायता करने, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने और विभिन्न क्षेत्रों में लघु पनबिजली परियोजनाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए

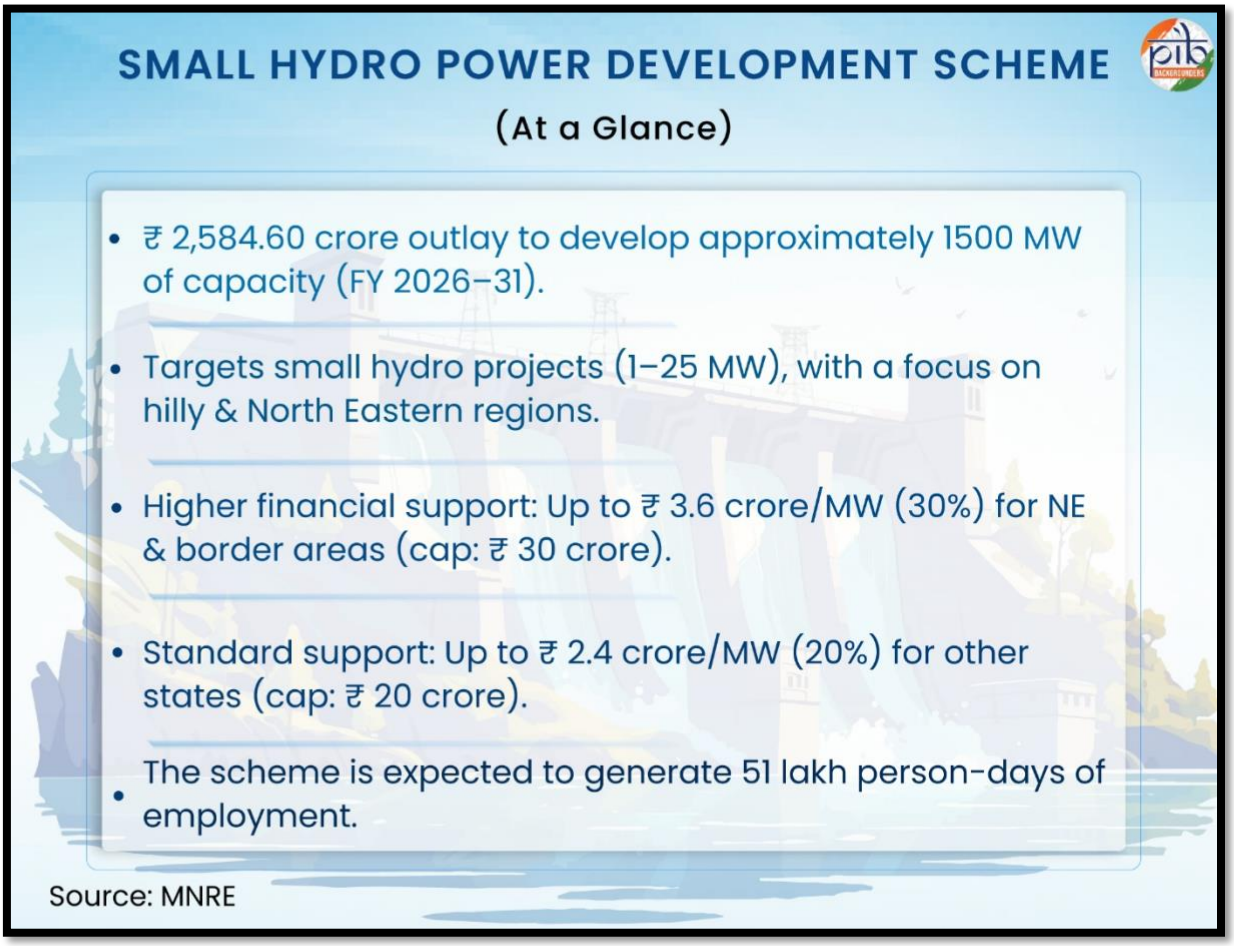


लक्षित उपायों की एक रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य ध्यान वित्तपोषण, परियोजना की तैयारी और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में निष्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर है। कुल मिलाकर, इन उपायों का उद्देश्य लघु जल विद्युत क्षमता की अधिक तीव्र और कुशल तैनाती को सक्षम बनाना है।

**वित्तीय सहायता संरचना**

- उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों के लिए: 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30% (जो भी कम हो), प्रति परियोजना अधिकतम 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।
- अन्य स्थानों के लिए वित्तीय सहायता: 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 20% (जो भी कम हो), प्रति परियोजना अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ।

**निवेश और आर्थिक प्रभाव:**

- इस योजना से लघु जल विद्युत क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है।
- यह योजना स्वदेशी संयंत्रों और मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी।

**<u>पाइपलाइन विकास और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहायता:</u>**

- क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना कम से कम 200 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करती है। भविष्य की परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायता के लिए अलग से 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

**<u>रोज़गार सृजन:</u>**

- इस योजना से निर्माण चरण के दौरान लगभग 51 लाख मानव-दिवस के रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, निरंतर रोज़गार के अवसर पैदा करेगी।

लघु पनबिजली विकास योजना की स्वीकृति भारत की अप्रयुक्त लघु पनबिजली क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्षित वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास और संवहनीय संयोजन से, यह योजना स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देने के लिए तैयार है।

## संवहनीय ऊर्जा विकास के लिए लघु जलविद्युत का महत्व

भारत में स्वच्छ, विश्वसनीय और विकेंद्रीकृत ऊर्जा को बढ़ावा देने में लघु जलविद्युत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ये परियोजनाएँ स्थानीय रूप से उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करके, खपत केंद्रों के निकट ही बिजली उत्पन्न करती हैं। इससे न केवल ऊर्जा तक पहुँच बेहतर होती है, बल्कि लंबे पारेषण नेटवर्कों पर निर्भरता भी कम होती है और समग्र दक्षता में वृद्धि होती है।

- **विकेंद्रीकृत और कुशल बिजली आपूर्ति:** मांग केंद्रों के निकट स्थित होने के कारण, ये परियोजनाएं पारेषण हानि को कम करती हैं, वोल्टेज की स्थिरता में सुधार करती हैं और

सीमावर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करती हैं।

- **स्वच्छ और लागत प्रभावी ऊर्जा स्रोत:** लघु जल विद्युत बिना किसी ईंधन की खपत या उत्सर्जन के बिजली उत्पन्न करती है, जो इसे एक संवहनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य दीर्घकालिक समाधान बनाती है।
- **ग्रामीण विकास का चालक:** उपेक्षित क्षेत्रों में बिजली की पहुंच में सुधार करके, ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करती हैं और स्थानीय आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।
- **रोज़गार और आजीविका का सृजन:** ये निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के रोज़गार के अवसर पैदा करती हैं, साथ ही, ये छोटे पैमाने के उद्योगों और स्वरोज़गार को भी बढ़ावा देती हैं।
- **पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय:** ज़मीन की बहुत कम ज़रूरत और न के बराबर विस्थापन के कारण, छोटी पनबिजली परियोजनाओं का पारिस्थितिक प्रभाव बहुत कम होता है और इनका सामाजिक प्रभाव भी सीमित होता है। इनका लंबा परिचालन जीवन इनकी स्थिरता को और भी मज़बूत बनाता है।

लघु जल विद्युत एक संतुलित समाधान प्रदान करता है जो संवहनीय विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को जोड़ता है। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय, चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करके और ग्रिड को मजबूत करके, ये परियोजनाएं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पर्यावरणीय संवहनीयता को सामाजिक-आर्थिक लाभों के साथ एकीकृत करने की इनकी क्षमता, इन्हें भारत में स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव का एक प्रमुख घटक बनाती है।

## भारत में लघु जल विद्युत की क्षमता और संभावनाएँ

लघु जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव के एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय घटक के रूप में उभर रहा है। यह विशेष रूप से पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहाँ विकेंद्रीकृत उत्पादन न केवल संवहनीय बिजली प्रदान कर सकता है, बल्कि ऊर्जा पहुँच को बढ़ाकर स्थानीय आजीविका में सहायता भी कर सकता है।

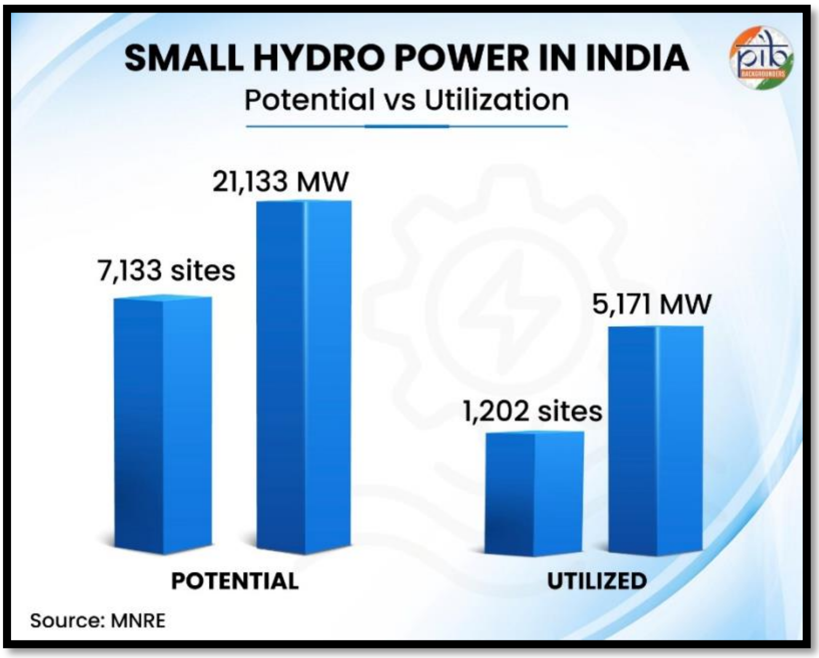


भारत के पास 7,133 चिह्नित स्थलों पर 21,133.61 मेगावाट की महत्वपूर्ण लघु जल विद्युत क्षमता मौजूद है। 2026 की शुरुआत तक, लगभग 5,171 मेगावाट (लगभग 24.5%) का दोहन पहले ही किया जा चुका है, जो इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। शेष 15,960 मेगावाट से अधिक की क्षमता, केंद्रित नीतिगत समर्थन और सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से त्वरित विकास के एक बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।

इस क्षमता का क्षेत्रीय वितरण भारत की समृद्ध भौगोलिक विविधता को दर्शाता है और देश भर में अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। उत्तरी क्षेत्र में 7,978 मेगावाट की लघु जल विद्युत क्षमता है (लगभग 38%), जो विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में फैली हुई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 3,262 मेगावाट (लगभग 15%) की क्षमता है, जो इसे विस्तार के लिए खासकर पहाड़ी इलाकों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रमुखता के साथ स्थापित करता है। इस सूची में इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र का स्थान है, जहाँ 5,490 मेगावाट (लगभग 26%) की लघु जल विद्युत क्षमता है, क्योंकि वहाँ सुविकसित नदी प्रणालियां और बुनियादी ढांचा

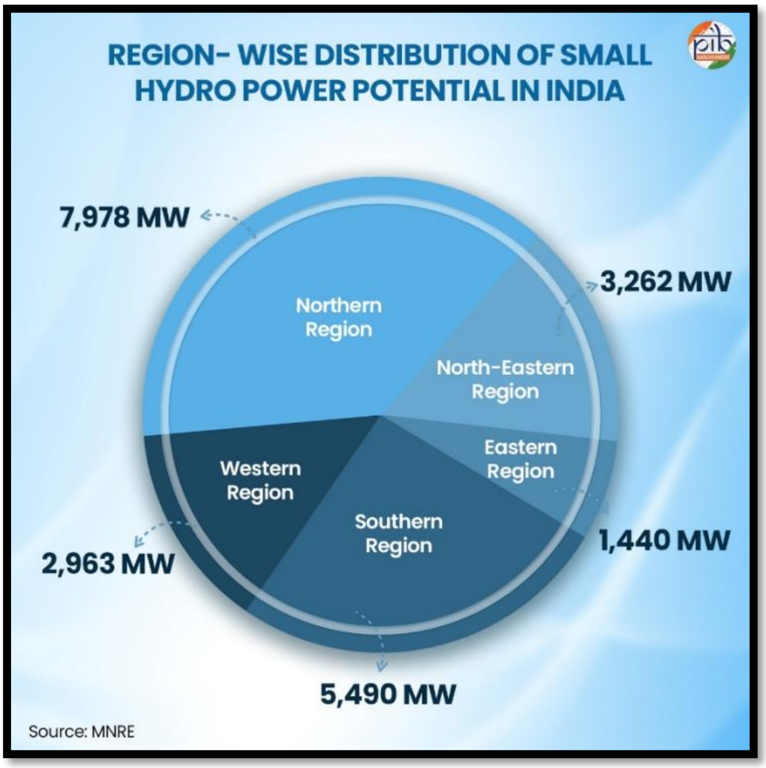

है। पश्चिमी क्षेत्र में 2,963 मेगावाट (लगभग 14%) की क्षमता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1,440 मेगावाट (लगभग 7%) है, जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं।

इस वितरित क्षमता के कारण एक संतुलित और क्षेत्र-विशेष रणनीति बनाना संभव हो पाता है। जहाँ एक ओर उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र अपने मज़बूत बुनियादी ढाँचे के कारण योजनाओं को तेज़ी से लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। हाल ही में मंज़ूर की गई 'लघु पनबिजली विकास योजना' के माध्यम से, भारत सरकार लक्षित प्रोत्साहन, सरल प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के ज़रिए इस विविध क्षमता का सदुपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एक केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, भारत लघु जलविद्युत के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक संवहनीय एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

## उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्र भारत के लघु जल विद्युत परिदृश्य की रीढ़ है। यहाँ का पर्वतीय भू-भाग, बारहमासी नदियाँ और अनुकूल जल-विज्ञान इसे विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश (3,460 मेगावाट), उत्तराखंड (1,664 मेगावाट) और जम्मू और कश्मीर (1,312 मेगावाट) जैसे राज्य इस क्षेत्र की क्षमता में प्रमुख स्थान रखते हैं, जबकि लद्दाख (395 मेगावाट) इसका रणनीतिक महत्व बढ़ाता है। इस मजबूत आधार के बावजूद, उपयोग का स्तर अभी भी सीमित है, जो बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त क्षमता की ओर संकेत करता है।

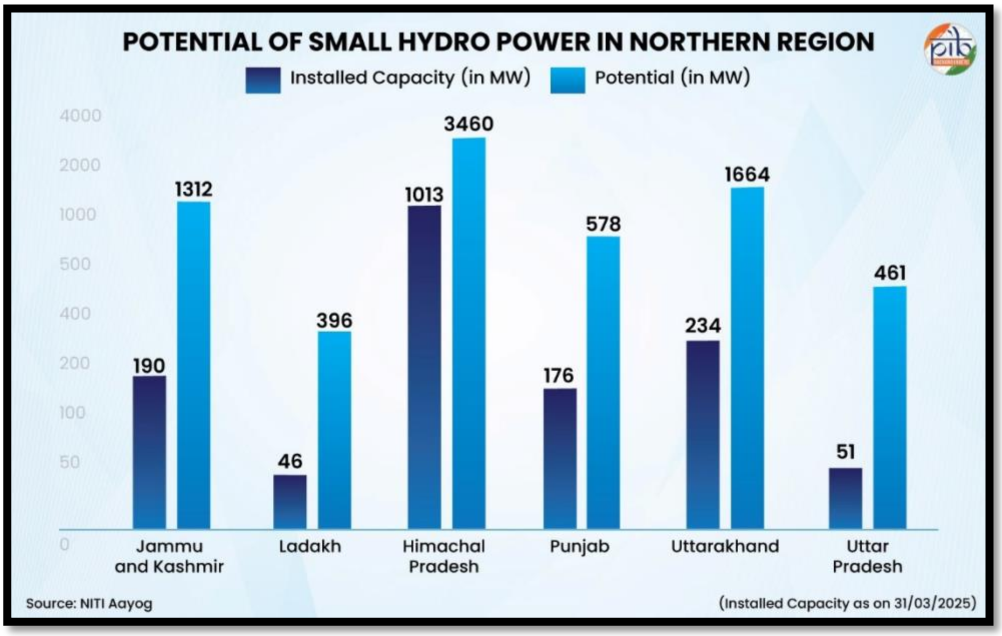


**क्या आप जानते हैं?**

रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं बड़े बांध बनाए बिना, नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती हैं। इसमें पानी के एक हिस्से को नहरों और पाइपों के माध्यम से मोड़कर टरबाइन चलाए जाते हैं और फिर उसे वापस मुख्य धारा में छोड़ दिया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित होता है।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की एक उच्च-संभावना वाली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

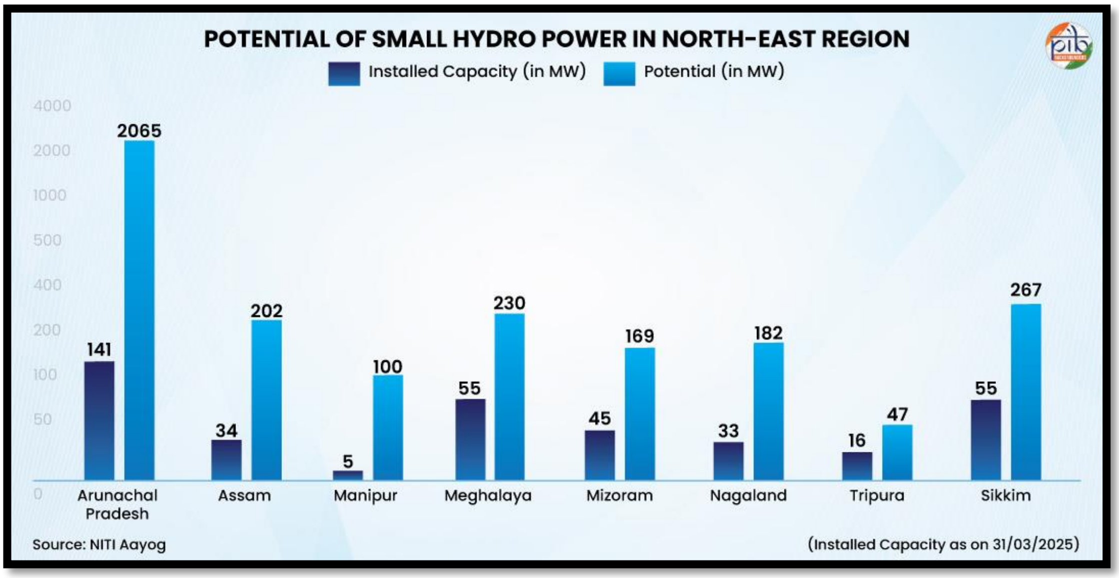


क्षेत्रीय क्षमता में अरुणाचल प्रदेश (2,064.92 मेगावाट) की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद मेघालय (230.05 मेगावाट), असम (201.99 मेगावाट), नगालैंड (182.18 मेगावाट), मिजोरम (168.90 मेगावाट), मणिपुर (99.95 मेगावाट) और त्रिपुरा (46.86 मेगावाट) का स्थान है। सिक्किम (266.64 मेगावाट) को शामिल करने से क्षेत्रीय क्षमता और अधिक बढ़ जाती है।

इस क्षेत्र में लघु जल विद्युत का विकास विकेंद्रीकृत और ऑफ-ग्रिड ऊर्जा समाधानों के लिए मजबूत अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से दूरदराज के और जनजातीय क्षेत्रों में। यह ऊर्जा पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे सकता है और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम कर सकता है। लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों, बेहतर कनेक्टिविटी और समुदाय-संचालित मॉडलों के साथ, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भारत के लघु जल विद्युत क्षेत्र के लिए विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभर सकता है।

## दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र लघु जल विद्युत विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जहाँ मजबूत अवसंरचना, स्थापित ऊर्जा प्रणालियां और अनुकूल नदी घाटियां हैं। कर्नाटक 3,726.49 मेगावाट के साथ इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, जो क्षेत्रीय क्षमता का लगभग 68% है। इसके बाद केरल (276.52 मेगावाट) और तमिलनाडु (123.05 मेगावाट) का स्थान है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र ने अपेक्षाकृत

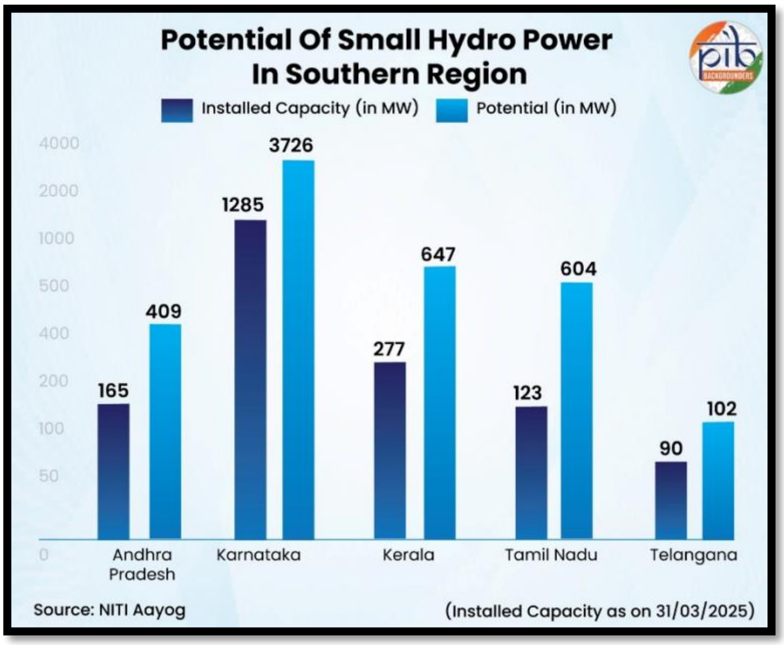

उच्च उपयोग स्तर कायम रखा है, जो कुशल परियोजना निष्पादन और मजबूत ग्रिड कनेक्टिविटी को दर्शाता है। अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार के साथ, दक्षिणी क्षेत्र मौजूदा संपदा के अनुकूलन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकरण के माध्यम से और अधिक विस्तार करने के लिए तैयार है। यह पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हो रहे विकास के पूरक के रूप में, भारत के लघु जल विद्युत विस्तार में एक स्थिर भूमिका निभाना जारी रखेगा।

## पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में सीमित, किंतु रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लघु जलविद्युत क्षमता उपलब्ध है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार (526.98 मेगावाट) और पश्चिम बंगाल (392.06 मेगावाट) जैसे राज्य इस क्षेत्र में आगे हैं, हालांकि यहाँ कुल उपयोग का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस क्षेत्र की नदी प्रणालियाँ और भौगोलिक स्थिति लघु स्तर की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं।

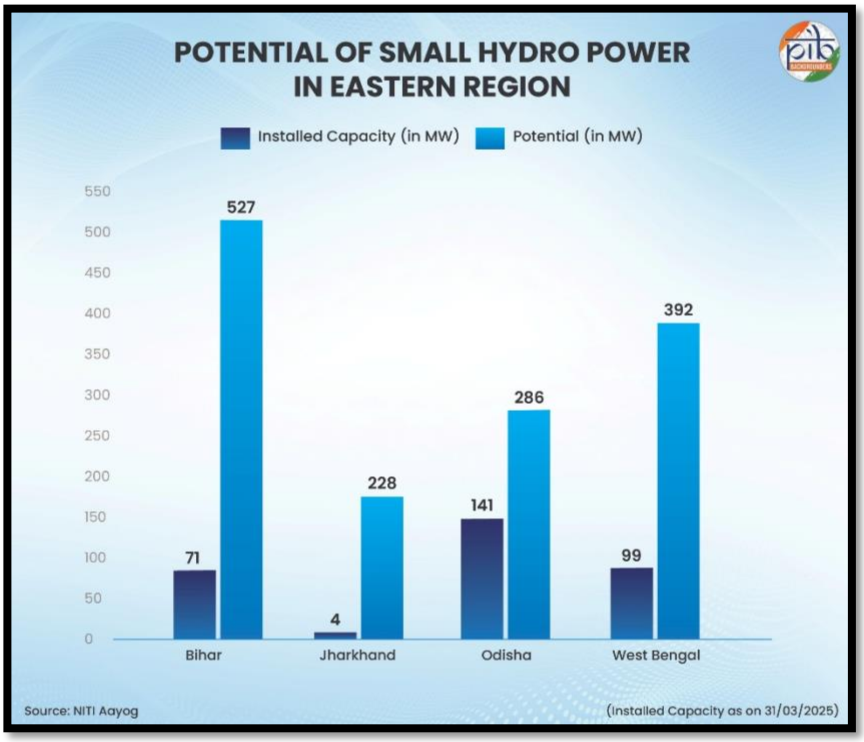


इस क्षेत्र में लघु जल विद्युत के विस्तार से स्थानीय ऊर्जा पहुंच, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार हो सकता है, साथ ही यह समावेशी विकास में भी सहायक होगा। लक्षित हस्तक्षेपों, बेहतर वित्तपोषण तंत्र और विकेंद्रीकृत परिनियोजन मॉडल के साथ, पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय विकास का पूरक बन सकता है।

## पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से अपने व्यापक सिंचाई और नहर-आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से लघु जलविद्युत विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

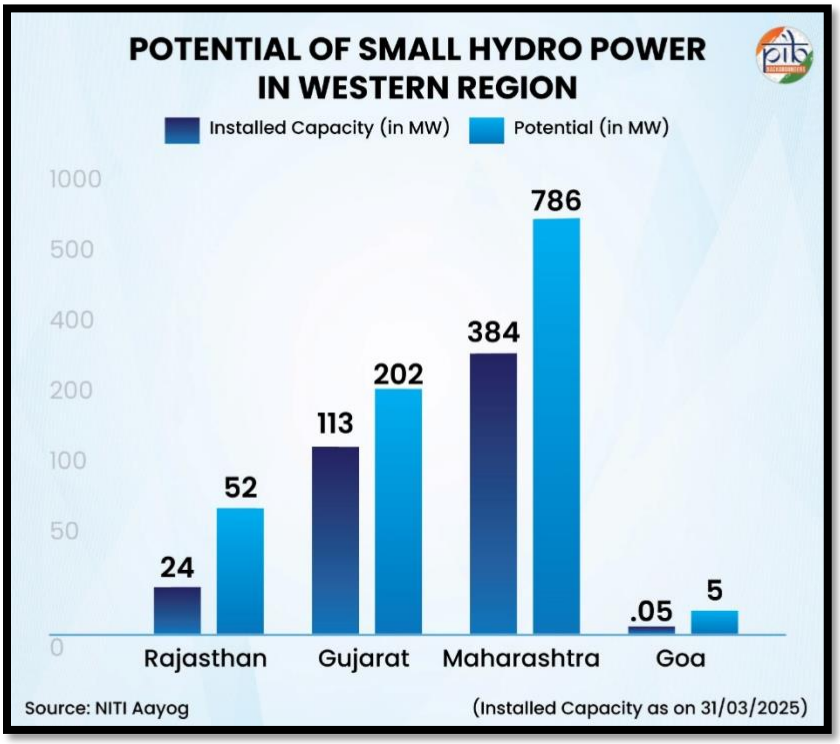


महाराष्ट्र 786.46 मेगावाट क्षमता के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है, इसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान आता है। महाराष्ट्र ने अपेक्षाकृत उपयोग का उच्च स्तर हासिल किया है, जबकि अन्य राज्यों में इसके विस्तार की अभी भी काफी गुंजाइश है।

इस क्षेत्र का नहर-आधारित और बांध-तल (डैम-टो) परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, लघु जलविद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए एक किफायती मार्ग है। मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर और नवीन परिनियोजन मॉडलों को बढ़ावा देकर, पश्चिमी क्षेत्र विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मजबूत कर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हुई प्रगति के साथ-साथ, यह एक संतुलित और विविध लघु जलविद्युत विकास पथ सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**<u>क्या आप जानते हैं?</u>**

लघु जल विद्युत परियोजनाएं, जो नहरों के जलप्रपातों या बांधों के आधार पर शुरू की जाती हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए सिंचाई नहरों में पानी के गिरते स्तर या बांधों और बैराजों के ठीक नीचे उपलब्ध जल प्रवाह का उपयोग करती हैं। इसमें पानी को पावर हाउस की ओर मोड़ा जाता है और बिजली उत्पादन के बाद उसे वापस मुख्य नहर में छोड़ दिया जाता है, जिससे मौजूदा जल अवसंरचना का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित होता है।

## निष्कर्ष

लघु जलविद्युत विकास योजना (2026-31) भारत सरकार द्वारा देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में लघु जलविद्युत की अनूठी क्षमताओं का लाभ उठाने की दिशा में एक निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप है। 2,584.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, इस योजना का लक्ष्य 1,500 मेगावाट

की नई क्षमता जोड़ना है, यह योजना विश्वसनीय और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देती है–विशेष रूप से उन दुर्गम इलाकों में, जहाँ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपनी सीमाएँ हैं।

क्षमता निर्माण के अलावा, यह पहल व्यापक विकासात्मक परिणाम देने के लिए तैयार की गई है। लक्षित वित्तीय सहायता, सुव्यवस्थित परियोजना तैयारी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देकर, यह निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेगी और दूरदराज के व ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह एकीकृत दृष्टिकोण लघु जल विद्युत को समावेशी विकास और क्षेत्रीय समानता के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्थापित करती है।

जैसे-जैसे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता और एक संवहनीय भविष्य की ओर बढ़ रहा है, छोटी पनबिजली परियोजनाएँ एक संतुलित समाधान देती हैं, जो पर्यावरणीय दायित्व को सामाजिक-आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ता है। इस प्रयास के साथ, भारत सरकार को पूरा विश्वास है कि यह योजना उन क्षेत्रों को रोशन करेगी जहाँ बिजली की पहुँच कम है, यह ग्रिड की मजबूती को बढ़ाएगी और एक स्वच्छ, अधिक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देगी।

## संदर्भ


पत्र सूचना कार्यालय

- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2241799&reg=1&lang=1

नीति आयोग

- https://iced.niti.gov.in/energy/fuel-sources/others/small-hydro/potential

अन्य

- https://www.ireda.in/hydro-energy
- https://ujvnl.uk.gov.in/small-hydro plants/#:~:text=Hydro%20power%20involves%20a%20clean,Minimum%20Maintenance


पीआईबी शोध

पीके/केसी/एसके